भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- **433**

दिनांक **19** जुलाई, 2022 के लिए प्रश्न

डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना

433. श्री संजय सेठ:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में डेयरी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना मौजूदा है;और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का जिला-वार ब्यौरा क्या है और इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है जिसमें प्रमुख रूप से गुणवत्तापूर्ण दूध की खरीद, उसके प्रसंस्करण, विपणन और कार्यशील पूंजीगत आवश्कताओं के लिए डेयरी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण/सृजन हेतु डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक कंपनियों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है:-

i. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)
ii. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)
iii. डेयरी कार्यकलापोंमें लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादकसंगठनों को सहायता (एसडीसी और एफपीओ)

(ख) झारखंड में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु पिछले तीन वर्षों में उठाये गये कदमों का विवरण इस प्रकार है:

i. एनपीडीडी योजना के तहत देवघर, कोडरमा, लातेहार और रांची डेयरी संयंत्रों की दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने तथा रांची में नई राज्य केंद्रीय प्रयोगशाला की स्थापना के लिए , झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (जेसीएमपीएफएल) द्वारा कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 821.57 लाख रूपये के परिव्यय के साथ गुणवत्तापूर्ण दुग्ध कार्यक्रम परियोजना का अनुमोदन किया गया था।
ii. एसडीसी और एफपीओ योजना के तहत वर्ष 2020-21 में जेसीएमपीएफएल को कार्यशील पूंजीगत ऋण पर 6.25 लाख रूपये की ब्याज सहायता राशि संस्वीकृत की गयी थी।

iii. इसके अतरिक्त झारखंड सरकार ने वर्ष 2021-22 में ''दुग्ध उत्पादकों को मूल्य प्रोत्साहन'' नामक एक नई योजना शुरू की है, जिसमें 1 रूपये प्रति लीटर की दर से मूल्य प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इस प्रोत्साहन को संशोधित कर वर्ष 2022-23 के लिए दो रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इससे जेसीएमपीएफएल से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा। जेसीएमपीएफएल से जुड़े और योजना के तहत लाभान्वित होने वाले दुग्ध उत्पादकों की जिले-वार संख्या अनुबंध में संलग्न है।

iv. उपरोक्त के अलावा, झारखण्ड सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान पलामू में नए डेयरी संयंत्र के निर्माण और स्थापना के लिए 7.00 करोड़ रूपये तथा राज्य में डेयरी विकास कार्यकलापों हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 7.25 करोड़ रूपये की राशि को संस्वीकृत और जारी किया है।

v. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) जेसीएमपीसीएल को प्रबंधन, तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता भी प्रदान कर रहा है।

******

अनुबंध

झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड से जुड़े, लाभान्वित दुग्ध उत्पादकों की संख्या (दिनांक **30.06.2022**की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	जिला	दुग्ध उत्पादकों की संख्या
1	रांची	7128
2	लोहरदग्गा	3344
3	बोकारो	252
4	रामगढ़	258
5	खुंटी	97
6	गुमला	88
7	सरायकेला	13
8	सिमडेगा	17
9	धनबाद	99
10	पश्चिमी सिंघभूमि	21
11	कोडरमा	65
12	हजारीबाग	1556
13	चतरा	786
14	देवघर	1043
15	दुमका	770
16	गोड्डा	1037
17	गिरिडीह	28
18	जमतारा	135
19	लातेहार	861
20	पलामू	2241
21	गढ़वा	1130
22	साहिबगंज	1082
	कुल	**22051**

****